न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 38 / 2020

वादीगण

1 सताराम 2 विशनाराम पिसरान केशराराम जाति जाट निवासी जेतोणियों की ढाणी (खारिया तला) तहसील बाडमेर 3 चूनीदेवी पुत्री केशराराम पत्नी जोगाराम जाति जाट निवासी मायलों की ढाणी (झाक) तहसील बायतु 4 टीपूदेवी पुत्री केशराराम पत्नी गोरधनराम जाति जाट निवासी चक मौखाब तहसील शिव जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादी

1 केशराराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी जेतोणियों की ढाणी (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री मेघाराम चौधरी, वकील वादीगण।

2. श्री भोमाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 16/02/21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, पन्नाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा जैताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 810 / 722 रकबा 27.00 बीघा तथा मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 874 / 618 रकबा 27.00 बीघा कुल रकबा 54.00 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता पन्नाराम की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 केशराराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पन्नाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1 / 5–1 / 5 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी केशराराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पन्नाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1 / 5–1 / 5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ खातेदार घोषित कर 1 / 5–1 / 5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जावे तो आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:30:13 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 01 सताराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 सताराम द्वारा शपथ पत्र में कथन किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत वाद ग्रस्त खेतों की जमाबन्दियां, खतौनी बन्दोबस्त तथा नक्शे प्रस्तुत किये है, जो ईएक्सपी–1 से ईएक्सपी–5 है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित होने से खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर

प्रतिवादी केशराराम द्वारा अपने बयानों में वाद कथन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी केशराराम के साथ वादीगण को खातेदार घोषित करने पर कोई आपति नही होना प्रकट किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी केशराराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि माफिक इकबाली जवाब एवं बयान प्रतिवादी, वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण, प्रतिवादी केशराराम के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जैताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 810/722 रकबा 27.00 बीघा तथा मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 874/618 रकबा 27.00 बीघा कुल रकबा 54.00 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी केशराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) * बाड़मेर *

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 16/02/21 ... इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:54:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर